पंचायत निगरानी संख्या : 483/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम दिनेश व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 483/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/623

प्रार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. दिनेश कुमार पुत्र गोमाराम निवासी दूदनी तहसील बाली जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी पंचायत समिति, बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 55/2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.11.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.02.2026

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **मिसल संख्या 55/2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.11.2019 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत **पट्टा संख्या 12 दिनांक 29.11.2019** को जारी किया गया है।
2. **दिनेश कुमार/गोमाराम मेघवाल** के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक **12** जरिये मिसल संख्या **55/2016–17** द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के **प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.08.2018** में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शूल्क 200.00/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया गया। पत्रावली में दायर दिनांक 20.04.2017 अंकित है जिसमें दिनेश कुमार/गोमाराम के पट्टा आवेदन शुल्क 120/– रुपये जरिये रसीद संख्या 92 दिनांक 19.12.2016 द्वारा जमा कर पत्रावली दायर की गई। लेकिन आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र पत्रावली में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 483/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम दिनेश व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सलंग्न नही है। भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 08.05.2018 को आज्ञाओं की सूची में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ लगा हुआ नहीं है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके की स्थिति का सही उल्लेख किया हुआ नही है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 08.05.2018 को प्रारुप 22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान लगे हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर एक खाली भूखण्ड है, तथा भूखण्ड के कुछ जगह पर 2 से 2.5 फीट ऊंचाई में चारी दिवारी का निर्माण कार्य किया हुआ है एवं शेष भाग में कांटों की बाड है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकीन आबादी की भूमि है। भूमि आबादी में स्थित है तब भी पत्रावली एवं मौका स्थिति अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा गलत नियम में बनाया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या **12** दिनांक **29.11.2019** की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री नरपतसिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या दो बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। ग्राम पंचायत दूदनी से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी वक़्त बहस हाजिर नहीं। काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को आधारहीन बताते हुए याचिका को खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन व विश्लेषण करने के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते हैः–

1. मूल मिसल पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा पट्टा बनाने हेतु कोई आवेदन या प्रार्थना पत्र सलंग्न नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वक़्त सुनवाई भी ऐसे किसी आवेदन/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 की पूर्वापेक्षा में पट्टे हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए बिना ही ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दर्ज कर न केवल भूमि विक्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, अपितु प्रथम आदेशिका दिनांक 06.04.2018 में आवेदन प्रस्तुत होने का आधारहीन कथन भी किया गया।
2. मूल मिसल पत्रावली में आदेशिका दिनांक 06.04.2018 में तीन पंचों की समिति द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 483/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम दिनेश व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के उपबन्धानुसार ग्राम पंचायत द्वारा बैठक आयोजित कर प्रस्तावित भूमि विक्रय के स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति गठित करने का प्रावधान है। किन्तु बैठक कार्यवाही विवरण पंजिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बैठक दिनांक 06.04.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ तीन पंचों का मनोननयन ही नहीं किया गया था और न ही ऐसा कोई नामवार मनोनयन आदेश मूल मिसल पत्रावली में ही उपलब्ध है। यह अंकन करना भी महत्वपूर्ण है कि मूल मिसल पत्रावली में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र पर भी ग्राम सचिव के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर अंकित है जबकि पूर्वोक्त नियम 146 के प्रावधानानुसार निरीक्षण तीन पंचों द्वारा किया जाना आज्ञापक है।

3. मूल मिसल पत्रावली तथा बैठक कार्यवाही विवरण के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा उपरोक्त नियम 1996 के नियम 147 की पूर्वापेक्षा में प्रस्तावित भूमि विक्रय का अनन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया।
4. जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु दिनांक 08.05.2018 का एक आपत्ति ईश्तिहार मूल मिसल पत्रावली में अवश्य सलंग्न है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में यह प्रावधान है कि आपत्ति आमंत्रण इश्तिहार दो व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रस्तावित सहजदृश्य स्थल पर चस्पा किया जाएगा। किन्तु हस्तगत प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार नोटिस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में न तो दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है और न ऐसा कोई विवरण ही अंकित है कि उक्त नोटिस किस स्थान पर चस्पा किया गया। इसस यह संभावना उत्पन्न होती है कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही मात्र कागजों में ही सम्पादित की गई तथा प्रस्तावित भूमि विक्रय से पूर्व आम लोगों के दावों अथवा आपत्तियों को आमन्त्रित करने हेतु कोई गम्भीर प्रयत्न किये ही नहीं गए।
5. जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 157 (1) में निष्पादित किया जाना दस्तावेजों से स्पष्ट है अर्थात ग्राम पंचायत दूदनी ने प्रस्तावित भूखण्ड पर अप्रार्थी का नियम लागू होने से पचास वर्ष पूर्व का रहवासी कब्जा मानते हुए "पुराने घरो के विनियमितिकरण" के रुप में उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। किन्तु यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मूल मिसल पत्रावली में ऐसा एक भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थी का पुराना गृह या रहवासी कब्जा सिद्ध करने में सहायक हो। मूल मिसल पत्रावली में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र में भी ऐसे रहवासी कब्जे के संबंध में कहीं कोई अंकन नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे कब्जे के प्रमाण के रुप में किसी व्यक्ति या पड़ौसी के बयान तक उपलब्ध नहीं है। अर्थात पूर्वोक्त नियम 157 की पूर्वापेक्षा में प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी का पुराना घर या रहवासी कब्जा होने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी स्तर पर कोई जांच सम्पादित नहीं की गई और बिना किसी जाँच के मनमाने ढंग से प्रार्थी को पुराना मकान होने का अंकन कर अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157 (1) में भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 483/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम दिनेश व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजुहातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 55/2016–17 के सन्दर्भ में भूमि विक्रय का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 07.08.2018 पारित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 में यथाउपबन्धित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई एवं अप्रार्थी के पक्ष में मनमाने ढंग से भूमि विक्रय कर अवैधानिक कार्यवाही कारित की गई है।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा मूल मिसल संख्या 55/2016–17 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 07.08.2018 एवं उसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 दिनांक 29.11.2019 को अपास्त किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत दूदनी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य भूमियों को ज़रिए आम निलामी विक्रय किया जाए। ताकि पंचायत राजकोष को अधिकतम लाभ मिल सके।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूदनी को निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क करते हुए सुपाठ्य अक्षरों में 'निरस्त' अंकित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)